फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

स संख्या :— /20

रामगोहन बनाम सरकार

दिनाक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
19.06.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील हाजिर। अप्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जवाब प्राप्त हो चुका है। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 08.07.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)	
08.07.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सरकार का जवाब प्राप्त हुआ जो संलग्न है। बहस प्रार्थी की सुनी गई। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम एक्ट बाबत् का पेश किया है। प्रार्थीगण विवादित भूमि खसरा नम्बर 517 रकबा 0.18 है०, खसरा नम्बर 518 रकबा 0.27 है०, खसरा नम्बर 520 रकबा 0.32 है०, खसरा नम्बर 521 रकबा 0.36 है०, खसरा नम्बर 522 रकबा 0.22 है०. खसरा नम्बर 524 रकबा 0.18 है०, खसरा नंबर 525 रकबा 0.18 है0, खसरा नंबर 526 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम भादडवास तहसील चाकसू के रिकोर्डेड काबिज काश्तकार होना बताया है। वादग्रस्त आराजी में राजस्व रिकार्ड में मन्दिर माफी सीताराम जी का नोट अंकित है। प्रतिवादी सरकार ने जवाब ने जाहिर किया है कि विवादित भूमि मे माफी मन्दिर सीताराम जी प्रकरण विचाराधीन का नोट वर्तमान जमाबन्दी में अकंन है। अतः पत्रावली में प्रस्तुत संलग्न दस्तावेजों के आधार पर यह आंशिक स्वीकार किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय में रेफरेस विचाराधीन नही है और लिपिकीय त्रुटि से नोट दर्ज किया गया तो इन्द्राज को दुरूस्त किया जावें। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)	